न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 53/2019

1. मनफूलराम पुत्र श्री शिवलाल जाति कुम्हार निवासी. चक 9 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. मोहनलाल पुत्र मनफूल उर्फ फूलाराम, जाति जाट, 11 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. बाबत रास्ता स्वीकृति

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता – – प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.05.2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी के नाम चक 9 एल.एन.पी. के खाता संख्या 29/25 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात है।

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 9 एलएनपी के खाता संख्या 32/28 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 21 ता 25 की कुल 1.265 हैक्टर कृषि भूमि मय खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि मु.नं. 8 के दक्षिणी दिशा में स्थित मु.नं. 11 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में मंजूरशुदा सरकारी रास्ते से चिपती हुई है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में काश्त करने हेतु मंजूरशुदा मुख्य रास्ते से जो कि मु.नं. 11 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में स्थित है से होते हुए मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 25 में 2 बिस्वा रास्ते से जो प्रार्थी की कृषि भूमि मु.नं. 7 से चिपता हुआ है से होते हुए अपनी कृषि भूमि में पिछले कई वर्षों से आता जाता रहा है तथा वर्तमान में भी यह रास्ता चालू है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूम में आने जाने हेतु इस मौजूदा रास्ता के आलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं जाता है।

प्रार्थी चक 5 एल.एन.पी. के मु.नं. 8 के किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में रास्ता जो की 2 बिस्वा यानि 16–1/2 फुट चौड़ा दक्षिण से उत्तर दिशा में स्थित है, को पिछले कई वर्षो में प्रयोग कर रहा है उक्त रास्ता ही प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए उपयुक्त व लघुतम मार्ग है। यह रास्ता वर्तमान समय में राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

में दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड सकता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में आपसी रजामंदी से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 राजामंद हो गया, जिस पर वह राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 से मिले जिनके द्वारा ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया गया । यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य कारण है। प्रार्थी अप्रार्थी इस रास्ते को जो कि चक 9 एलएनपी के मु.नं. 8 के किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में 2 बिस्वा यानि 16.5 फुट चौड़ा दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ लम्बाई में स्थित है, को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु तैयार व तत्पर है तथा अप्रार्थी इस रास्ते की एवज में कोई मुआवजा प्रापत नहीं करना चाहता है। जिस हेतु अप्रार्थी सं. 1 उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 9 एल.एन.पी. के मुनं. 7 में आने जाने हेतु मु.नं. 8 के किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में 2 बिस्वा यानि 16.5 फुट चौड़ा जो कि दक्षिण से उत्तर दिशा लम्बाइ में स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर शपथ पत्र में कथन किया कि यदि चक 9 एल.एन.पी. के मुनं. 7 में आने जाने हेतु मु.नं. 8 के किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में 2 बिस्वा यानि 16.5 फुट चौड़ा रास्ता जो कि दक्षिण से उत्तर दिशा लम्बाई में स्वीकृत किया जाता है तो उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 किसी प्रकार की रकम व भूमि मुआवजा के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहता। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 556 दिनांक 29.04.2019 का अवलोकन किया गया।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली के तथ्यों एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों के मध्य आपसी कोई विवाद नहीं है व राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 9 एल.एन.पी. के मुनं. 7 में आने जाने हेतु चक 9 एल.एन.पी. के मु.नं. 8 के किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में 2 बिस्वा यानि 16.5 फुट चौड़ा जो कि दक्षिण से उत्तर दिशा लम्बाई में गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम करे।

निर्णय आज दिंनाक 10.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर